अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

का.आ. 354(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग क स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 193 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार प्रशांति मेडिकल सर्विस एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, 205, ट्रेड सेन्टर, द्वितीय तल,शारदानगर, मेन रोड, राजकोट-360001 द्वारा राजकोट गुजरात में श्री सत्य सांई हार्ट अस्पताल का संचालन भूमि का विकास,निर्माण, उपस्कर, साजसज्जा की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997--98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 325 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशांति मेडिकल सर्विस एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, 205, ट्रेड सेन्टर, द्वितीय तल,शारदानगर, मेन रोड, राजकोट-360001 द्वारा राजकोट गुजरात में श्री सत्य सांई हार्ट अस्पताल का संचालन, भूमि का विकास,निर्माण, उपस्कर, साजसज्जा की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण् वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र सात करोड़ रूपए की कार्पस निधि सहित आठ करोड़ नवासी लाख सोलह हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 69-2003/फा. सं. एन.सी.-166/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)